अध्याय IV
आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण को मोटे तौर पर एक इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रभावित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संचालन की प्रभावशीलता और दक्षता के उद्देश्यों की प्राप्ति, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र न केवल निवारक के रूप में कार्य करता है बल्कि धोखाधड़ी की गतिविधियों की संभावना को भी कम करता है और अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करता है। लेखापरीक्षा ने मानदंड जैसे निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन, आंतरिक/विशेष लेखा परीक्षा, डेटा प्रबधन की प्रणाली, लेखाकरण और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंतरिक अभिलेखन का सत्यापन किया और निम्नलिखित कमियों को पाया:

- आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा की अपर्याप्त निगरानी (पैरा 4.1);
- एससीएन जारी करने/अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा का अभाव (पैरा 4.2);
- सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट और डेटा में बेमेलता (पैरा 4.3);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 4.4)

4.1 आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा की अपर्याप्त निगरानी

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 7.10 के अनुसार, एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) चालू रहेगी, जिसमें प्रत्येक महीने डीजीएफटी मुख्यालय में कंप्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर, प्रत्येक आरए के ऐसे 10 प्रतिशत मामलों का चयन करेगी, जहां लाभों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है। ऐसे मामलों की जांच संबंधित आंचलिक अतिरिक्त डीजीएफटी के कार्यालय में संयुक्त डीजीएफटी की अध्यक्षता वाली एक आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा की जाएगी। टीम न

केवल अपने कार्यालय के लिए दावों बल्कि जोन के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी आरए के दावों की लेखापरीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। संबंधित आरए या तो आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षा एजेंसी की रिपोर्ट या स्व-प्रेरणा के आधार पर भी किसी मामले का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, जहां कोई त्रुटिपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। आरए, वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ भुगतान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

एफटीपी के पैरा 4.07 (ix) में आगे यह निर्दिष्ट है कि डीजीएफटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्व-संपुष्टि योजना के तहत जारी एए से संबंधित विनिर्माण की लेखापरीक्षा कर सकता है। इस तरह की लेखापरीक्षा को प्राधिकार जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आरएमएस के आधार पर किया जा सकता है। उप-पैरा (x) में आगे कहा गया है कि डीजीएफटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति मामले के स्वरूप और जटिलता एवं सरकार के राजस्व को ध्यान में रखते हुए एक विशेष लेखापरीक्षा शुरू कर सकता है, यदि संवीक्षा/जांच/पूछताछ के किसी भी चरण में उसका यह मत है कि मानदंडों का सही दावा नहीं किया गया है या अधिक लाभ प्राप्त किए गए हैं।

नौ आरए (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, लुधियाना, पानीपत, वडोदरा और विशाखापट्टनम) में देखा गया था कि स्व-संपुष्टि योजना के तहत मामले होने के बावजूद कोई आंतरिक लेखापरीक्षा या विशेष लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

मुंबई और पुणे आरए में यह देखा गया कि एमओएफ के पीएओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा कराई जा रही है जो डीजीएफटी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है और जिसका दायरा आरएमएस आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा से भिन्न है। आरए मुंबई और पुणे द्वारा विशेष लेखापरीक्षा के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

आरए बेंगलुरु, हैदराबाद और विशाखापत्तनम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एए मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आरए के पास ऐसा कोई तंत्र मौजूद है। इस संबंध में अनुरोध/अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद भी

सीएलए दिल्ली द्वारा आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा कराने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए श्रमबल की उपलब्धता की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि आरए बेंगलुरु, मुंबई और कोच्चि में आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा के लिए कोई अलग पद मौजूद नहीं था या श्रमबल आवंटित नहीं किया गया और आरए मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोच्चि में स्टाफ की कमी देखी गई।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सभी आरए को आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है या क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। डीजीएफटी ने आगे कहा (जुलाई 2021) कि डीजीएफटी मुख्यालय में कोई अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं बनाया गया है और आरए/सीएलए में आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कोई अलग पद निर्दिष्ट नहीं है, तथापि, कुछ आरए ने अपना लेखापरीक्षा विंग बनाया है। डीजीएफटी मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा सीसीए, डीओसी द्वारा गठित पीएओ टीम द्वारा की जाती है।

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा संबंधी प्रभावी नीति के अभाव ने उन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी न करने में योगदान दिया था जिसमें अन्य कार्यों के बीच इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर बहुत से आरए ऐसे किसी तंत्र से अनजान हैं।

सिफारिश संख्या 15: आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य

करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सभी आरए को आंतरिक लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा कराने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें कुछ परीक्षण जांचें करके स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत एए जारी किए जाते हैं।

बाद के लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति की निगरानी की जाएगी।

4.2 आरए द्वारा प्राधिकार और ईओ पूर्ति की शर्तों की निगरानी न करना

एफटीडीआर अधिनियम 1992 को 7 अगस्त 1992 से लागू किया गया था ताकि आयात को सुगम बनाकर और भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन का प्रावधान किया जा सके। एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13, अधिनिर्णयन प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत एससीएन जारी करने के बाद लाइसेंस की किसी भी शर्त उल्लंघन या ईओ को पूरा करने में विफलता के के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति देती है।

लेखापरीक्षा ने यह देखने के लिए आरए के लिए स्थापित तंत्र की समीक्षा की कि क्या एएच द्वारा लाइसेंसों की शर्तों और ईओ की पूर्ति का अनुपालन किया जा रहा था जो यह जांच करके पता किया कि क्या एससीएन/अधिनिर्णय आदेशों की सूची का विधिवत रखरखाव किया जाता है, एससीएन/अधिनिर्णय जारी करने में लगने वाला समय और यह भी की क्या कोई वसूली तंत्र लागू है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एससीएन जारी करने और बाद में उसके अधिनिर्णय के लिए अधिनियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। एससीएन/अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा के अभाव में, आरए, लाइसेंस की शर्तों के किसी उल्लंघन या ईओ को पूरा करने में विफलता के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप एससीएन के जारी करने में/उसके अधिनिर्णय में अत्यधिक विलंब हुआ जैसा कि यहां नीचे सोदाहरण दर्शाया गया है:

(i) आरए मुंबई में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1,074 प्राधिकारों में एससीएन जारी करने में लगने वाला समय 2 से 17 वर्ष तक

था। 396 मामलों में पीएच की गई, फैक्टशीट तैयार की गई लेकिन दो से तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई अधिनिर्णय आदेश जारी नहीं किए गए। अन्य मामलों में एससीएन जारी होने के बाद भी सुनवाई की कार्यवाही और कार्यवाही के निष्कर्ष आवधिक रूप से नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा में आरए मुंबई और पुणे में 25 नमूना मामलों की जांच की गई और एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्णय में देरी के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं पाया गया । ईडीआई के डेटा के अनुसार, आरए मुंबई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान 374 एससीएन का अधिनिर्णय किया था और ₹ 432.26 करोड़ की दंड राशि लगायी थी। लेखापरीक्षा में जांच की गई दो नमूना अधिनिर्णय फाइलों में जनवरी/फरवरी 2018 में लगाई गई ₹ 46 करोड़ की दंड राशि शामिल थी और मामले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं।

(ii) आरए बंगलुरु में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान 949 एससीएन जारी किए गए थे, जिनमें से केवल 51 मामलों (5.37 प्रतिशत) पर ही अधिनिर्णय हो सकता था जिसमें ₹824.17 लाख की दंड राशि शामिल है। हालांकि आज तक कोई वसूली नहीं हो सकी।

(iii) आरए हैदराबाद में, 229 एए के संबंध में 229 एससीएन जारी किए गए थे; हालांकि, किसी का भी अधिनिर्णय नहीं किया गया। आगे की जांच से पता चला कि 2001-02 से 2017-18 से संबंधित चूक के लिए 2018-19 में 228 एससीएन (कुल 229 एससीएन में से) जारी किए गए थे। आरए को एससीएन जारी करने में 17 वर्ष तक का समय लगा।

(iv) आरए जयपुर में, समीक्षा में शामिल अवधि के दौरान आठ एससीएन 67 से 981 दिनों तक की देरी के साथ जारी किए जा सके। सात महीने से छह वर्ष तक की देरी के साथ केवल छह एससीएन का ही अधिनिर्णय किया जा सका। हालांकि, किसी भी मामले में आज तक कोई वसूली (₹29.00 लाख की दंड राशि में) नहीं की जा सकी है।

(v) आरए कटक, जयपुर और कोलकाता में एससीएन/अधिनिर्णय रजिस्टर का सही रखरखाव नहीं किया गया था।

(vi) जारी किए गए एससीएन या किए अधिनिर्णय का विवरण तीन आरए (अहमदाबाद, दिल्ली और वडोदरा) द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मामले को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और देरी के लिए श्रमबल की कमी जैसे कारणों के निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर अधिनियम में विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ही तरीके से निपटाया जाना चाहिए और जिससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी मदद मिलेगी।

सिफारिश संख्या 16: डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईसीए डिवीजन ने एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिनिर्णय कार्यवाही के लिए सभी आरए को मॉडल दिशानिर्देश और समय-सीमा जारी किए है (जनवरी 2021), और अधिनिर्णय कार्यवाही की व्यापक निगरानी के लिए लागू की जा रही नई आईटी प्रणाली का भी उल्लेख किया है।

इस संबंध में प्रगति को आगामी लेखापरीक्षाओं में देखा जाएगा।

4.3 सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट और डेटा में बेमेलता

डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट, आरए के परिचालन पहलुओं/प्रदर्शन/कार्यभार का निर्धारण करने के लिए बहुमूल्य इनपुट्स प्रदान करता है। आरए को विभिन्न सूचनाओं की जाँच करनी होती है अर्थात प्रसंस्कृत विभिन्न आवेदनों का विवरण, एनसी को भेजे गए मामले, ईओ निगरानी, एससीएन/अधिनिर्णय, न्यायालय में मामले, स्वीकृत संख्या और पीआईपी जो सांख्यिकी संभाग द्वारा आरए के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित किए जाते हैं। डीजीएफटी द्वारा निगरानी आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

डीजीएफटी को प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्ट की जब सीमा शुल्क ईडीआई डेटा से तुलना की गई तो उस की समीक्षा से तीन आरए में विसंगतियों का पता चला जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

आरए मुंबई में, वित्तीय वर्ष 01 से वित्तीय वर्ष 17 तक की अवधि के लिए प्रति-सत्यापन से गैर-मोचन वाले लाइसेंस के 956 मामलों, जारी किए गए एससीएनएस के 331 मामलों और जारी न किये गए एससीएन के 1,287 मामलों में बेमेलता का पता चला। इसके अलावा एमआईएस-4 रिपोर्ट में एक कमी है क्योंकि इसमें जारी किए गए एससीएन/मांग नोटिस के लंबित होने और उनके लंबित होने के कारणों का आयु-वार विश्लेषण नहीं दिया गया है।

इसी तरह, आरए पुणे में, वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 19 तक की अवधि के लिए गैर-मोचन वाले मामलों में बेमेलता की संख्या 85 थी। डीजीएफटी को प्रस्तुत की गई एमआईएस रिपोर्ट में एससीएन के लंबित होने का विवरण नहीं दिया गया है। इसका पता चलने पर यह बताया गया था कि 59 एससीएन 1 से 2.5 वर्ष तक की अवधि के लिए लंबित हैं।

आरए जयपुर में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए एए की संख्या और उस पर सीआईएफ मूल्य, डीजीएफटी को भेजी गई एमआईएस रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाती थी, जिसमें 43 एए का अंतर था, जिसमें ₹540.86 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था।

आरए जयपुर ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए जनवरी 2020 में मौजूदा एमआईएस-4 रिपोर्ट को सही किया। हालांकि, पहली एमआईएस रिपोर्ट में डेटा के बेमेल होने के कारणों को व्यक्त नहीं किया गया था।

आरए द्वारा प्रस्तुत की गई एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचनाओं की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ उठाया नहीं जा रहा है। कार्रवाई शुरू करने में देरी के साथ-साथ मांग नोटिस/एससीएन के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप भारी संचित लम्बन हुआ। एफटीपी में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी और कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किए गए थे जिसमें कार्रवाई शुरू करने और चूककर्ताओं के विरुध कानूनी कार्यवाही तेज करने के निर्देश थे।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि eodc.online की सुविधा डाटाबेस इंटरफेस प्रदान करती है और इस मामले को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सिफारिश संख्या 17: डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि नई आईटी प्रणाली शुरू किए जाने के साथ (1 दिसंबर 2020), यह योजना अब पेपरलेस है जिसमें 100 प्रतिशत सटीकता के साथ ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मास्टर रजिस्टर के गैर-रखरखाव या बेमेल होने का कोई सवाल ही नहीं है।

आगामी लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति पर नजर रखी जाएगी। एमआईएस रिपोर्टों से एकत्रित सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

4.4 अन्य अनियमितताएं

4.4.1 मास्टर रजिस्टर का रखरखाव/अद्यतन न करना

एचबीपी 2015-20 के नियम 4.44 (ए) यह निर्धारित करता है कि ईओपी की आरम्भ और समापन तिथियों और ईओ की प्रभावी निगरानी के लिए अन्य विवरणों को दर्शाते हुए आरए एक मास्टर रजिस्टर में उचित रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा ताकि चूककर्ता एएच के विरुध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच आरए (कटक, दिल्ली, पानीपत, पटना और वाराणसी) में मास्टर रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था और अन्य पांच आरए (हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर और विशाखापट्टनम) में ठीक से अद्यतन नहीं किया गया था।

आरए हैदराबाद में, एक मामले को उजागर किया गया है जहां ईओ की पूर्ति की प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही थी, भले ही मास्टर रजिस्टर का भौतिक और कंप्यूटर सिस्टम (एलईएमआईएस) दोनों में रखरखाव किया गया था। मोचन न

किए गए 1,343 में से 93 एए में, जहां ईओपी समाप्त हो गया था, तब भी कोई निर्यात नहीं किया गया था, भले ही एएच ने इन मामलों में ₹309.67 करोड़ के छोडे गए शुल्क के साथ शुल्क मुक्त माल का आयात किया था। चार उदाहरणों में इस संबंध में एएच के साथ कोई संवाद नहीं किया गया। एक मामले में, अधिक आयात केवल एए के मोचन के समय देखा गया। इसके अलावा, पुनर्वैधीकरण/विस्तार/ वृद्धि/अवैधीकरण के संशोधन आदेशों को मास्टर रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि 'eodc.online' ऑनलाइन मॉड्यूल, ईओ की स्थिति की निगरानी करता है जिससे लंबित मामलों के विवरण की जांच की जा सकती है। अब सभी ईओडीसी प्रणाली से उत्पन्न होते हैं जो स्वयं मास्टर रजिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान मास्टर रजिस्टर के अभाव में, आरए के पास न तो ईओ की पूर्ति निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र था जब तक एएच द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और न ही आरए, एएच से ईओ की पूर्ति के लिए विवरण मांग सकता था। इसके अलावा, आरए ऐसे आवश्यक अभिलेखों के अभाव में आगे लाइसेंस से इनकार करने, लाइसेंस की शर्तों को लागू करने या शुल्क/ब्याज की वसूली के साथ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने जैसी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे। ऑनलाइन कार्यात्मकताओं का केवल 1 दिसंबर 2020 से कार्यान्वयन किया जाना बताया गया था और इसकी समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.4.2 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातुओं के आयात के लिए गैर-निगरानी

एचबीपी के पैरा 4.94 यह निर्धारित करता है कि नामित एजेंसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चार/पांच सितारा निर्यात गृह आरए में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप-पैरा (बी) (iii) में यह उल्लेखित है कि आरए जो नामित एजेंसी प्रमाण पत्र जारी करता है, ऐसी एजेंसियों द्वारा भरे जाने वाले एचबीपी के परिशिष्ट-4 एम के अनुसार छमाही रिटर्न के आधार पर ऐसे प्रमाण पत्र धारकों के निष्पादन की निगरानी करेगा। आरए, डीजीएफटी को नॉन फाइलर्स के बारे में भी जानकारी देंगे और नामित एजेंसी प्रमाण-पत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए

30 दिन के भीतर उचित कार्रवाई भी करेंगे। डीजीएफटी मुख्यालय जब भी आवश्यक हो, नामित एजेंसियों के निष्पादन की समीक्षा भी कर सकता है।

आरए बेंगलुरु ने गोल्ड बार/मेडेलिओंस के आयात/निर्यात में शामिल मेसर्स एक्स एक्सपोर्ट्स (एक स्टार हाउस निर्यातक) को नामित एजेंसी प्रमाण-पत्र जारी किया। तथापि, आरए, अर्द्धवार्षिक रिटर्न दाखिल न करने या नामित एजेंसी प्रमाण पत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के बारे में डीजीएफटी को रिपोर्ट करने में विफल रहा।

4.4.3 एनसी को भेजे गए मामलों की अपर्याप्त निगरानी

एनसी को भेजे गए मामलों की निगरानी आरए द्वारा की जा रही है और इस संबंध में एमआईएस-3 रिपोर्ट को मासिक आधार पर डीजीएफटी मुख्यालय को भेजे जाने की आवश्यकता है। एमआईएस-3 रिपोर्ट बिना मानदंड श्रेणी से संबंधित लंबित मामलों की एक उत्पाद समूहवार सूची है जिसे मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए आरए द्वारा एनसी को भेजा जाता है। इसे सांख्यिकी संभाग द्वारा विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित किया जाता है। यह डीजीएफटी के ईडीआई प्रणाली से अपने आप जेनरेट नहीं होता है।

आरए कोच्चि में, एनसी को भेजे गए एए से संबंधित सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नहीं थी और मुख्यालय को प्रस्तुत एमआईएस-3 रिपोर्ट को इस आधार पर शून्य के रूप में दर्शाया गया था कि एएच ने सीधे एनसी को मानदंडों के निर्धारण के लिए आवेदन भेजा है, जो एनसी को भेजे गए एए मामलों की अप्रभावी निगरानी का संकेत है।

डीजीएफटी ने नई आईटी प्रणाली (1 दिसंबर 2020) के साथ, कहा (फरवरी 2021) कि आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने में देरी का समाधान किया जाएगा। नीति परिपत्र 23 (मई 2019) में स्व-घोषणा के तहत जारी किए गए एए के लिए आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सीधे एनसी को अग्रेषित करने को अनुबद्ध किया गया है जब एसआईओएन मौजूद नहीं है और इसलिए एनसी को भेजे गए मामलों को शून्य के रूप में दर्शाया गया था।

उक्त नीति परिपत्र का प्रयोजन ऑनलाइन आवेदन और एनसी द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति के बीच समय अंतराल को कम करने के लिए किया गया था और इसलिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को सीधे एनसी को अग्रेषित करने की

अनुमति दी गई थी। चूंकि एए को आरए क्षेत्राधिकारिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता हैं, इसलिए लेखापरीक्षा का मानना है कि आरए को अपनी एमआईएस-3 रिपोर्ट में एनसी को भेजे गए एए को दर्शाना चाहिए और डीजीएफटी द्वारा इसकी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा संबंधी प्रभावी नीति के अभाव ने इस योजना के कार्यान्वयन की गैर-निगरानी में योगदान दिया था जिसमें अन्य कार्यों के बीच इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करके विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई आरए ऐसे किसी तंत्र से अनजान थे।

एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर अधिनियम में विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ही तरीके से निपटाया जाए। इससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचनाओं की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ उठाया नहीं जा रहा है। कार्रवाई शुरू करने में देरी के साथ-साथ मांग नोटिस/एससीएन के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप भारी संचित लम्बन हुआ। एफटीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किए गए थे जिसमें कार्रवाई शुरू करने और चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तेज करने के निर्देश थे।

सिफारिशें

15. ***आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत***

घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

16. *डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।*

17. *डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।*

नई दिल्ली
दिनांक: 28 अक्तूबर OCT 2021

(कार्तिकेय माथुर)
प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 29 अक्तूबर OCT 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक